Pharmacist

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 फरवरी, 1998

संख्या सा० का० नि०/112संविधान/अनु/309/98.—भारत के संविधानके अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम ।

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड ; हरियाणा ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा ;

(घ) "महानिदेशक" से अभिप्राय है महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें हरियाणा ;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू किसी विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ।

(छ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,--

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; अथवा

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधिपत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; अथवा

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में भैषजिक (ग्रुप ग) सेवा।

भाग II--सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,--

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी ,जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग) ,(घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उसमें भली भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 17 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां महानिदेशक द्वारा की जावेंगी।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दे सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उन के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;
या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी, —

(क) मुख्य भेषजिकों की दशा में, —

(i) वरिष्ठ भेषजिकों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) भेषजिक की दशा में,—

(i) 25 प्रतिशत बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा प्रयोगशाला तकनीशियन में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु —

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में,—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की और गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह ---

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो :---

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिनियुक्ति कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;

(3) किसी अन्य व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,---

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,---

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्ति किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्ति किया गया हो तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है।

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ;

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो ---

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम बदला नहीं जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी । अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में से उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(क) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(ग) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाएं या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में निर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में बताया गया हो।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना, आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर, जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति ।

20. पंजाब चिकित्सा विभाग अधीनस्थ पद (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1945, जहां तक ये उक्त नियमों के परिशिष्ट क में वर्णित पदों से सम्बन्धित है, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम-3)

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य भेषजिक	—	26	26	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
2	भेषजिक	467	441	908	1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम–7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	मुख्य भेषजिक	—	भेषजिक के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
2	भेषजिक	(क) विज्ञान के साथ मैट्रिक (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान)	(क) आर्युविज्ञान महाविद्यालय रोहतक से या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से भेषजिक पाठ्यक्रम में उपाधियां।
		(ख) आर्युविज्ञान महाविद्यालय, रोहतक, या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से भेषजिक पाठ्यक्रम में उपाधियां। किसी मान्यता प्राप्त हस्पताल में टीका लगाने, पट्टी करने और वार्ड कार्य में प्रशिक्षण सहित।	(ख) हरियाणा राज्य को यथा लागू भेषजिक अधिनियम, 1948 की धारा 31 (क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा भेषजिक परिषद् में भेषजिक के रूप में पंजीकृत।
		(ग) हरियाणा राज्य को यथा लागू भेषजिक अधिनियम, 1948 की धारा 31(क) या 31(ग) या 32(क) के अधीन हरियाणा भेषजिक परिषद् में भेषजिक के रूप में पंजीकृत।	(ग) बहुउद्देश्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य अथवा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य भेषजिक	महानिदेशक	लघु शास्तियां — (i) वैयक्तिक फाईल (आवरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधि-- कांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद् या राज्य विधान मण्डल के	निदेशक	महानिदेशक	सरकार
2	भेषजिक					

1	2	3	4	5	6	7
			अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या विश्व विद्यालय की हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			(vi) (क) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समय-मान के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी अधिकारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय के वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत			

1	2	3	4	5	6	7
			किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, या पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति;			
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यत: निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट ख

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य भेषजिक	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य । अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	महानिदेशक	सरकार	..
2	भेषजिक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			

वीना ईगलटन,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 20th February, 1998

No. GSR112/Const/Art/309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise require,—

(a) "Board" means the Subordinate Service Selection Board, Haryana;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Health Services, Haryana;

(d) "Director General" means the Director General of Health Services, Haryana ;

(e) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(f) "institution" means —

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(g) "recognised university" means, —

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by Government to be a recognised by Government to be a recognised university for the purpose of these rules.

(h) "Service" means the Haryana Health Department Pharmacist (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4 (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India : or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tenzania (formerly Tanganyike and Zenzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour of a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age on or before the last date of submission of applications to the board.

Appointing authority.

6 Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director General.

Qualification.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in Column 4 of the aforesaid appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment;

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled caste, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a persons having spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in in Service ;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule .

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made:—

(a) in case of Chief Pharmacists—

(i) by promotion from amongst Pharmacists ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Pharmacist,—

(i) 25% by promotion from amongst Multi Purpose Health Workers or Laboratory Technicians ; and

(ii) 75% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on Seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year if appointed otherwise ;

Provided that, —

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of appointment, by transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule, and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a termporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and there after pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :—

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the Seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability be serve.

12(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

(i) a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, pension or other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressely provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may thereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalities and appeals.

14 (1) In matters relating to discipline, penalities and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalities which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the said rules and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath or allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding any thing contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so,

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Repeal and savings.

20. The Punjab Medical Department Subordinate posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1945, so far as they relate to the posts mentioned in Appendix A to these rules, are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Chief Pharmacist	—	26	26	Rs. 1640—60—2600—EB—75—2900
2	Pharmacist	467	441	908	Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600

Chief Pharmacist:

Pharmacist

APPENDIX B

(*See* rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience if any, of direct recruitment	Academic qualifications and experiences, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Chief Pharmacist		Atleast 5 years experience as Pharmacist
2	Pharmacist	(a) Matric with Science (Physics and Chemistry);	(a) Pharmacists course diploma from Medical College, Rohtak or any other institution recognised by the Haryana Government.
		(b) Pharmacists course diploma from the Medical College, Rohtak or any other recognised Institutions recognised by the Haryana Government with training in injections, dressing and ward work in a recognised Hospital;	(b) Registered as a Pharmacist with the Haryana Pharmacy Council under section 31 (a) or 31 (c) or 32 (a) of the Pharmacy Act, 1948 as applicable to Haryana State ;
		(c) registered as a Pharmacist with the Haryana Pharmacy Council under section 31 (a) or 31 (c) or 32 (a) of the Pharmacy Act, 1948 as applicable to Haryana State.	(c) 5 years experience as Multipurpose Health worker or Laboratory Technician.

APPENDIX C

[*See* rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Chief Pharmacist	Director General	**Minor Penalties**	Director	Director General	Government
			(i) Warning with a copy in the personal file (character roll) ;			
2	Pharmacist		(ii) Censure ;			
			(iii) Withholding of promotion ;			
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach or orders, to the Central Government or a State Gomment or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			

1	2	3	4	5	6	7
		(v)	withholding of increments of pay without cumulative effect ;			
			Major Penalties :			
		(vi)	Withholding of increments of pay with cumulative effect ;			
		(vii)	reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing further increments of his pay ;			
		(viii)	reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which be was reduced, with or without further direction regarding condition of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
		(ix)	compulsory retirement ;			

1	2	3	4	5	6	7
			(x) removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[(*See* rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to take the order	Appelate authority	Second and final appelate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Chief Pharmacist	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Director General	Government	—
2	Pharmacist	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			

VEENA EAGLETON,

Financial Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Health Department.

20341CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 नवम्बर, 2008

संख्या सा० का० नि० 35/ संवि०/अनु० 309/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

3
"(क) विज्ञान साहेत 10+ 2 (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) ; "।

अनुराधा गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 6th November, 2008

No. G. S. R. 35/Const./Art. 309/2008.— In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service (Amendment) Rules, 2008.

2. In the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Rules, 1998, in Appendix B, against serial No. 2, under column 3, for item (a), the following item shall be substituted, namely :—

3
"(a) 10+2 with Science (Physics and Chemistry) ;".

ANURADHA GUPTA,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Health Department.